भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.: 3549
उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

सभी बच्चों को शिक्षा

3549. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सरकार की संवैधानिक/विधिक जिम्मेवारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
(ग) क्या इस प्रावधान में निजी शिक्षण संस्थाओं को भी शामिल किया गया है/किए जाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): जी, हां l निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में निहित अनुच्छेद 21क में परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है l निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 3 में उल्लेख है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को उसके या उसकी प्राथमिक शिक्षा (कक्षा VIII तक) के पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है l आरटीई अधिनियम, 2009 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज-क्षेत्रों में लागू हैl आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 6, अन्य बातों के साथ-साथ, पड़ोस के निर्धारित क्षेत्र या सीमा के भीतर प्रारंभिक स्कूल तक बच्चों की पहुँच प्रदान करने हेतु संबंधित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को अधिदेशित करती है l केंद्र सरकार, अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जहाँ कोई विधानसभा नहीं है, द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित स्कूल के संबंध में ही सिर्फ केंद्र सरकार यथोचित सरकार है l अन्य मामलों में, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें राज्य अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित स्कूल के संबंध में क्रमशः यथोचित

सरकार है l आरटीई अधिनियम, 2009 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:

i. आयु के अनुकूल कक्षा में भर्ती न किए गए बच्चे का नामांकन

ii. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में समुचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और अभिभावकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां और केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय एवं अन्य दायित्वों को साझा करना l

iii. प्रत्येक स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवन और अवसंरचना, स्कूल-कार्य दिवस, शिक्षक-कार्य घंटों, के लिए मानदंड और मानक l

iv. दस वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमंडल और संसद के चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर-शैक्षिक कार्य हेतु शिक्षकों की तैनाती का निषेध l

v. शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित न्यूनतम अहर्ताओं सहित योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति l

vi. (क) शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना/शारीरिक दंड; (ख) बच्चों के प्रवेश हेतु स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं; (ग) केपिटेशन फीस; (घ) शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन और (ड.) बिना मान्यता के स्कूल को चलाने का निषेध l

vii. संविधान में सन्निहित मूल्यों के अनुसरण में पाठ्यक्रम का विकास, जो बाल सुलभ और बाल केंद्रित अधिगम प्रणाली के माध्यम से बच्चों के ज्ञान, क्षमता, प्रतिभा, और बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा l

(ग) और (घ): आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) में प्रावधान है कि विशिष्ट श्रेणी से संबंधित स्कूल और निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, पड़ोस के कमजोर वर्ग और लाभवंचित समूह से संबंधित बच्चों को उस कक्षा की संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक कक्षा 1 (अथवा उसके नीचे की कक्षा) में प्रवेश देंगे और इसके पूरा होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे l

आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख करती है कि धारा 12 (1) (ग) के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी गैर-सहायताप्राप्त स्कूल को आरटीई नियमानुसार राज्य द्वारा प्रभारित प्रति-छात्र-व्यय की सीमा अथवा बच्चे से ली गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति करेगा l

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा नामक एक एकीकृत योजना शुरू की है, जिसमें पूर्व की तीन केंद्र प्रायोजित योजनाएं - सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा शामिल हैं l यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

*****